भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1502

दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय पशुधन मिशन

1502. डॉ. मोहम्मद जावेद:

श्री टी.एन.प्रथापन:

सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के अंतर्गत बीमित पशुधन का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा और संख्या क्या है;

(ख) वर्ष 2022-23 में एनएलएम में सहभागी बीमा कंपनियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के परिसमापन के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र स्थापित किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने पशुपालकों के लिए ऐप-आधारित पशुधन बीमा सुविधा विकसित करने की संभावना का पता लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत बीमित पशुधन का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण और संख्या अनुबंध I में संलग्न है।

(ख) वर्ष 2022-23 में एनएलएम में भाग लेने वाली बीमा कंपनियों की संख्या का राज्य-वार विवरण अनुबंध II में संलग्न है।

(ग) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों के वितरण के लिए, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस, मासिक प्रगति बैठकें, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित करता है, उच्च अधिकारियों से शासकीय और अर्ध-शासकीय पत्र भेजता है। इसके अलावा, डीएएचडी विभिन्न पीएफएमएस रिपोर्टों के माध्यम से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के व्यय की सख्ती से निगरानी कर रहा है और यदि राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार निधि का उपयोग करने में असमर्थ हैं तो निधियों के जमाव से बचने के लिए नए फंड जारी नहीं कर रहा है।

(घ) और (ङ) सरकार एक व्यापक पशुधन बीमा पोर्टल तैयार करने की प्रक्रिया में है जिसे मोबाइल ऐप-आधारित पशुधन बीमा सुविधा के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।

*****

अनुबंध I

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	बीमित पशुओं की संख्या		
		वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24
1	अण्डमान और निकोबार	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	169570	172822
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
4	असम	0	0	0
5	बिहार	0	0	0
6	छत्तीसगढ	18000	0	0
7	गोवा	0	0	0
8	गुजरात	0	0	0
9	हरियाणा	10187	198665	190438
10	हिमाचल प्रदेश	6682	16581	4224
11	जम्मू एवं कश्मीर	14912	17521	19926
12	झारखंड	0	0	2363
13	कर्नाटक	0	106000	0
14	केरल	0	0	0
15	लद्दाख	0	0	0
16	लक्षद्वीप	0	0	0
17	मध्य प्रदेश	87501	46884	51867
18	महाराष्ट्र	0	0	0
19	मणिपुर	0	0	0
20	मेघालय	0	0	0
21	मिजोरम	0	0	0
22	नागालैंड	0	0	0
23	ओडिशा	67738	250666	42945
24	पुद्दुचेरी	669	667	347
25	पंजाब	0	0	0
26	राजस्थान	0	27981	8349
27	सिक्किम	66	5043	0
28	तमिलनाडु	179395	160323	0
29	त्रिपुरा	0	0	0
30	तेलंगाना	0	0	0
31	उत्तराखंड	76193	89820	73794
32	उत्तर प्रदेश	0	96686	20917
33	पश्चिम बंगाल	0	0	0

अनुबंध II

क्र.सं.	राज्य	बीमा कंपनियों की संख्या	बीमा कंपनी का नाम
1	आंध्र प्रदेश	3	1) एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड 2) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 3) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2	हरियाणा	1	न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी
3	हिमाचल प्रदेश	1	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
4	जम्मू एवं कश्मीर	3	1) ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी 2) आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 3) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी
5	झारखंड	2	1) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2)यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
6	कर्नाटक	1	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
7	मध्य प्रदेश	1	ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी
8	राजस्थान	2	1) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी 2) ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी
9	सिक्किम	1	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी
10	तमिलनाडु	1	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी
11	उत्तराखंड	1	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
12	उत्तर प्रदेश	1	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड